भाकृअनुप-राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान(मानद विश्वविद्यालय)
ICAR-National Dairy Research Institute (Deemed University)
करनाल, हरियाणा (भारत). पिन-132 001,
Karnal, Haryana (India). PIN-132 001
(ईमेल Email : hindicell.ndri@icar.gov.in)

दिनांक :8/03/2022

फा.सं. 12-6/संसदीयराजभाषानिरीक्षणपत्राचार/2021

कार्यालय आदेश(Office Order)

संसदीय राजभाषा निरीक्षण के द्वारा किए गए निरीक्षण के उपरान्त अपेक्षित कार्रवाई करने के संबंध में निर्देश

Instructions for taking necessary action after inspection by the Committee of Parliament on Official Language

संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप-समिति के माननीय संयोजक श्री प्रदीप टम्टा, राज्यसभा सांसद के नेतृत्व में दिनांक 22.02.2022 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में संपन्न हुई निरीक्षण बैठक के दौरान अधोहस्ताक्षरी ने समिति को यह आश्वासन दिया गया है कि संस्थान के द्वारा राजभाषा हिन्दी के प्रचार, प्रसार एवं कार्यान्वयन के लिए समिति के द्वारा इंगित निम्नलिखित बिन्दुओं पर तत्काल संज्ञान लेते हुए तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाएगी तथा की गई कार्रवाई के संबंध बारे में कार्यालय की आगामी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में इसका मूल्यांकन कर समिति सचिवालय को अविलंब सूचित किया जाएगा। अत: संस्थान के सभी प्रभागाध्यक्षों/अनुभागों के प्रभारियों/सभी पदाधिकारियों/कर्मचारियों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे संसदीय निरीक्षण के दौरान इंगित निम्नलिखित बिन्दुओं पर अपने स्तर पर कार्रवाई सुनिश्चित करवाएं तथा की गई कार्रवाई से राजभाषा एकक को दिनांक 20.03.2022 तक अवश्य अवगत कराएं :-

During the inspection meeting held at Vigyan Bhawan, New Delhi on 22.02.2022, the undersigned has assured the Committee led by the Hon'ble Convener of the Second Sub-Committee of the Committee of Parliament on Official Language, Shri Pradeep Tamta, Hon'ble MP, RajyaSabha that by taking immediate cognizance of the following points as observed by the Committee for the promotion, propagation and implementation of Official Language Hindi by the Institute, the necessary action will be taken immediately thereto. Further after evaluating the same in the forthcoming meeting of the Official Language Implementation, it will be informed to the Committee Secretariat without delay. Therefore, it is directed to all the HODs/Incharges of the Sections of the Institute/all the Officers/employees to ensure necessary action at their level on the following points observed by the Committee and action taken report will be sent to the Official Language Unit of the Institute by 20.03.2022 :-

1. संस्थान के हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को समस्त प्रशासनिक कार्य शत-प्रतिशत हिंदी में करने के लिए निर्देशित किया जाए। {कार्रवाई : सभी प्रभाग/अनुभाग/पदाधिकारी}
2. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के अंतर्गत व्यक्तिश: आदेश के द्वारा आदेशित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को समस्त प्रशासनिक कार्य शत-प्रतिशत हिंदी में करने के लिए निर्देशित किया जाए। {कार्रवाई : सभी प्रभाग/अनुभाग/पदाधिकारी}
3. संस्थान "क" क्षेत्र में स्थित है एवं राजभाषा विभाग के निर्देशानुसार 'क' क्षेत्र में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा 'क' क्षेत्र में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों के साथ 100% पत्राचार हिंदी में किया जाना अनिवार्य है। अत: संस्थान के सभी प्रभागों/अनुभागों/ पदाधिकारियों को "क" क्षेत्र के कार्यालयों/व्यक्तियों को भेजे जाने वाले पत्र आदि हिन्दी में तैयार कर भेजने के लिए निर्देशित किया जाए। {कार्रवाई : सभी प्रभाग/अनुभाग/पदाधिकारी}
4. कार्यालय के प्रयोग में आने वाले कुल 750 कंप्यूटरों पर समस्त प्रशासनिक कार्य शत-प्रतिशत हिंदी में करने के लिए संस्थान के सभी प्रभागों/ अनुभागों/ पदाधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाए। {कार्रवाई : सभी प्रभाग/अनुभाग/पदाधिकारी}

.....2

5. कार्यालय में कंप्यूटर पर कार्य के स्वरूप प्रशासनिक, लेखा, प्रचालन से संबंधित एवं अन्य कार्यों में जहां हिन्दी/द्विभाषी में कार्य करने की सुविधा उपलब्ध है, वहां समस्त संबंधित प्रशासनिक कार्य शत-प्रतिशत हिंदी में करने के लिए संस्थान के सभी प्रभागों/ अनुभागों/ पदाधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाए। {कार्रवाई : सभी प्रभाग/अनुभाग/पदाधिकारी}
6. कार्यालय में कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने के लिए सभी प्रशिक्षित अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा नियमानुसार शत-प्रतिशत कार्य हिंदी में किया जाए। {कार्रवाई : सभी प्रभाग/अनुभाग/पदाधिकारी}
7. कार्यालय में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन तथा अनुवाद कार्य से संबंधित अनुवादक का पद दिनांक 01.10.2020 से रिक्त है। संस्थान के स्थापना-3 अनुभाग के द्वारा उक्त पद को शीघ्रातिशीघ्र भरने के संबंध में संबंधित कार्यालय/परिषद मुख्यालय से पत्राचार किया जाए, चूंकि संसदीय समिति को संस्थान प्रमुख के द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि उक्त अनुवादक के पद को शीघ्रातिशीघ्र भरने की कार्रवाई की जाएगी। {कार्रवाई : संयुक्त निदेशक(प्रशासन)/स्थापना: 3 अनुभाग}
8. राजभाषा एकक के द्वारा अधिक से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उक्त शब्दकोश/शब्दावली तथा सहायक साहित्य वितरित किया जाए। {कार्रवाई : राजभाषा एकक}
9. राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें वर्ष में चार बार अर्थात् नियमित तीन माह के अंतराल पर आयोजित की जाएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि दो बैठकों के मध्य तीन महीने का अंतर अवश्य रहे। {कार्रवाई : राजभाषा एकक}
10. संस्थान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों के कार्यवृत्त के साथ संलग्न की जाने वाले उपस्थिति पत्रक में समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के हिंदी ज्ञान की स्थिति (प्रवीण/ कार्यसाधक) एवं उनके द्वारा हिन्दी में किए जा रहे प्रशासनिक कार्य की प्रतिशतता दर्शाई जाए। {कार्रवाई : राजभाषा एकक}
11. यह सुनिश्चित किया जाए कि राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 14025/2/91-रा.भा.(घ) दिनांक 10.04.1992 के अनुसार हिन्दी कार्यशालाओं में हिंदी जानने वाले प्रत्येक कर्मचारी को वर्ष में कम से कम एक बार इनमें भाग लेकर हिंदी में मूल रूप में काम करने के अभ्यास का अवसर प्राप्त हो। {कार्रवाई : राजभाषा एकक}
12. राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्य के अनुसार 'क' क्षेत्र से "क", "ख" एवं "ग" क्षेत्र हेतु हिंदी पत्राचार का निर्धारित लक्ष्य क्रमश: 100%, 100% एवं 65% है। हिंदी पत्राचार के क्षेत्रवार निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सार्थक प्रयास किए जाएं। {कार्रवाई : सभी प्रभाग/अनुभाग/पदाधिकारी}
13. राजभाषा एकक के द्वारा संस्थान के सभी प्रभागों/अनुभागों का वर्ष में एक बार राजभाषा संबंधी निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए। {कार्रवाई : राजभाषा एकक}
14. राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 12019/3/89-रा.भा.(क), दिनांक 22.08.1989 के अनुसार यदि कोई कर्मचारी या अधिकारी जानबूझकर राजभाषा के बारे में लागू प्रावधानों की अवहेलना करता है तो प्रकरण में संबंधित नियमों एवं आदेशों के उल्लंघन होने के आधार पर कार्रवाई की जा सकती है।{कार्रवाई : सभी प्रभाग/अनुभाग/पदाधिकारी/कर्मचारी}

08.3.22

(डा. मनमोहन सिंह चौहान)

निदेशक, भाकृअनुप-राडेअनुसं, करनाल

प्रतिलिपि :सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु (Copy for information and n/a to) :

सभी प्रभागाध्यक्ष/प्रभारी/पदाधिकारी, राडेअनुसं, करनाल एवं अध्यक्ष, क्षेत्रीय केन्द्र, राडेअनुसं, द.क्षे.के. बेंगलूरू एवं पू.क्षे.के., कल्याणी।

प्रभारी, कंप्यूटर केन्द्र, राडेअनुसं, करनाल को संस्थान की वेबसाइट/ई-ऑफिस नोटिस बोर्ड पर अपलोडिंग हेतु।